अंतरिम कार्यवाही दिनांक 18.05.18

अनावेदक पक्ष की ओर से श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता द्वारा अर्थदण्ड की राशि जमा कराये जाने हेतु प्रकरण आज सुनवाई में लिये जाने का निवेदन किया गया। बाद विचार दर्शित आधार पर प्रकरण आज सुनवाई में लिया गया।

आवेदक / राज्य द्वारा श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक।

अनावेदक / अभियुक्त राजेश की ओर से श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक / अभियुक्त राजेश की ओर से श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता ने संपूर्ण अर्थदण्ड की राशि 2000 रूपये रसीद क्रमांक 39 बुक क्रमांक 11232 पर जमा कराई गई।

प्रकरण में संपूर्ण अर्थदण्ड की राशि जमा हो चुकी है और अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः यह विविध आपराधिक प्रकरण निरस्त किया जाता है।

संबंधित थाना प्रभारी को गिरफतारी वारंट एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व / तहसीलदार को वसूली संबंधी आदेश पत्र जारी होने की दशा में अविलंब वापस बुलाया जाये। प्रकरण में पूर्व से नियत तिथि निरस्त की जाती है। आगामी तिथि निरस्त हो।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

सतीश कुमार गुप्ता प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड